न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 70/2018
3. उनवान : सरपंच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर जरिये कंचन कंवर सरपंच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा।

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री कैलाश यादव निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2. सचिव ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर

4. निर्णय दिनांक : 30.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ)अधिवक्ता श्री जुगल किशोर शर्मा निगरानीकारान की ओर से।
ब)अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारीक गैर निगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीरामपुरा की आबादी ख. नं. 319 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा है, जिसके लगवा ख.नं. 322 रकबा 7 बीघा प्राईमरी स्कूल श्रीरामपुरा की भूमि है, जिनका मौके पर सीमा चिन्ह नहीं है तथा गांव के आबादी क्षेत्र से मिली हुई है। गांव के कुछ लोगों ने स्कूल भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 10.07.2017 को ख.नं. 322/1 पर ग्राम पंचायत से अभियान के तहत पट्टा प्राप्त कर लिया। इस तथ्य की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं रही कि पट्टाशुदा भूमि ख.न. 322/1 की है, क्योंकि ख.नं. 319 का सीमाज्ञान नहीं हो रखा था तथा ख.नं. 322/2 की आबादी भूमि है। ग्रामवासियों के शिकायती प्रा. पत्र पर तहसीलदार फुलेरा ने आदेश दिनांक 28.05.2018 के तहत ख.नं. 322/1 रकबा 7 बीघा का सीमाज्ञान कराया तो ज्ञात हुआ कि रामनारायण पुत्र गोगाराम, रामचन्द्र पुत्र गोगाराम, रतन पुत्र हरजी, मेरू पुत्र महोदव, कैलाश पुत्र महादेव और लक्ष्मी पत्नी कैलाश आदि को सहवन से गलत पट्टा जारी हो गया है। ऐसे पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को अप्रार्थी को सहवन से गलत पट्टा जारी होने की जानकारी तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान करने से हुई, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा कोई जान बूझकर भूल नहीं की है, बल्कि एक सद्भावी त्रुटि है। यह तथ्य ज्ञात होते ही पंचायत द्वारा पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही का प्रस्ताव लिया गया तथा उच्चाधिकारियों को कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2018 को निगरानी की इजाजत दी गई। न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा कानूनन नहीं है, राज्य सरकार स्वयंमेव भी तथ्य जानकारी में आने पर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकती है एवं गैर कानूनी शून्य प्रभावी आदेश पर समय सीमा लागू नहीं होती है। सरपंच ग्राम पंचायत को तथ्य की जानकारी होते ही न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समय सीमा में मानकर गुणावगुण पर निर्णय दिया जाना प्रार्थनीय है। विपक्षी संख्या 1 ने आवेदन के साथ गलत तथ्य एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्कूल की भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा द्वारा जारी पट्टा सं. 10 दिनांक 10.07.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा मूल पट्टा विपक्षी सं 1 से ग्राम पंचायत में जमा किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

जावे तथा मूल पट्टा विपक्षी सं 1 से ग्राम पंचायत में जमा किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्तर्गत मियाद अधिनियम पेश किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 को सहवन से स्कूल की जमीन पर पट्टा जारी हो गया है जो ग्राम पंचायत को सीमाज्ञान न होने की वजह से भूल हुई है बल्कि जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। ग्राम की आबादी भूमि ख.नं. 319 व 322/2 स्कूल भूमि ख.नं. 322/1 से लगवा है। ग्राम पंचायत को तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान होने से तथ्य की जानकारी हुई है। ग्राम पंचायत ने सीमाज्ञान होते ही बैठक में प्रस्ताव लेकर तुरन्त ही पट्टा निरस्त कराने की कार्यवाही कर दी है तथा विकास अधिकारी द्वारा निगरानी की इजाजत दिनांक 20.07.2018 को प्राप्त हुई। प्रकरण पूर्ण रूपेण लोक हित से प्रभावित है। कानूनी प्रकिया की औपचारिकता में हुई है। मामला स्कूल भूमि अर्थात लोकनीति के विपरीत है, ऐसे प्रकरणों में न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थी की निगरानी अन्दर मियाद मानी जाकर सुनवाई करें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम श्रीरामपुरा की आबादी ख.नं. 319 के लगवा ख.नं. 322 प्राईमरी स्कूल श्रीरामपुरा की भूमि है। विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त कर लिया। ख.नं. 319 का सीमाज्ञान नहीं हो रखा था। ग्रामवासियों के शिकायती प्रा. पत्र पर तहसीलदार फुलेरा द्वारा सीमाज्ञान पश्चात अतिक्रमण के तथ्य की जानकारी हुई। रामनारायण पुत्र गोगाराम, रामचन्द्र पुत्र गोगाराम, रतन पुत्र हरजी, भैरू पुत्र महोदव, कैलाश पुत्र महादेव और लक्ष्मी पत्नी कैलाश आदि को सहवन से गलत पट्टा जारी हो गया है। ऐसे पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। तथ्य ज्ञात होते ही पंचायत द्वारा पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही का प्रस्ताव लिया गया। न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा कानूनन नहीं है, राज्य सरकार स्वयंमेव भी तथ्य जानकारी में आने पर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकती है एवं गैर कानूनी शून्य प्रभावी आदेश पर समय सीमा लागू नहीं होती है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा द्वारा जारी पट्टा सं. 10 दिनांक 10.07.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा मूल पट्टा विपक्षी सं 1 से ग्राम पंचायत में जमा किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान अभिभाषक गैरनिगरानीकार द्वारा धारा 5 का प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्णय पारित करने का कथन किया गया। तत्पश्चात दौराने बहस कथन किया कि ग्राम श्रीरामपुरा में विपक्षी के मकान बजमाने से बने हुए हैं। विपक्षी ने निगरानीविहीन भूमि पर कब्जे के आधार पर पट्टा प्राप्त करने हेतु पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 10.07.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट, जांच की सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात पट्टा जारी किया गया। दिनांक 20.06.2017 का आवेदन किया गया। पंचो की टीम दिनांक 23.06.2017 को गठित की गई। दिनांक 30.06.2017 को रिपोर्ट की। मौका रिपोर्ट में मकान के पीढी दर पीढी होना एवं पुराना निर्माण होना अंकित किया है। कोई आपत्ति नोटिस प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। निगरानी 1 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। निगरानीकार के धारा 5 के प्रार्थना पत्र में सीमाज्ञान की जानकारी नहीं होने को देरी का कारण बताया गया है परन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दिनांक 28.06.2018 की पटवारी रिपोर्ट में 26 व्यक्तियों के नाम हैं, जिनके मकान बाहे होने का कथन किया गया। किन्तु पंचायत द्वारा केवल 6 लोगों के विरूद्ध निगरानी पेश की गई। जिस सीमाज्ञान के आधार पर निगरानी पेश की गई, उस सीमाज्ञान की रिपोर्ट आदिनांक तक पेश नहीं की गई। ख.नं. 319 है जबकि ख. नं. 322/1 में खेल का मैदान है। नामान्तरकरण खेल मैदान हो चुका है जिसमें सरपंच ने जमीन पर आबादी बसी होने का कथन कर नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया। जिसकी अपील स्कूल द्वारा अपील नहीं की।

अतिरिक्त कलक्टर
(ग्रामीण) प्रथम,

नामान्तरकरण को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। प्राचार्य द्वारा स्कूल मैदान की आवश्यकता नही होने का कथन किया। निगरानीधीन पट्टा नियमानुसार जारी किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी सारहीन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

गैरनिगरानीकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्तों की प्रति पेश की हैं।

हम निगरानीकार की निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं किः—

1. प्रकरण में पट्टा जारी करने वाली संस्था ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा ने ही पट्टा स्कूल भूमि पर सहवन से जारी होने का निगरानी में कथन किया है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से होती है। इसलिए इस तथ्य पर सन्देह का कोई स्पष्ट आधार नहीं है।

2. प्रकरण में गैर निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई कथन अथवा साक्ष्य पेश नही किया, जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित पट्टा आबादी भूमि मे ही जारी किया गया है, स्कूल भूमि में नहीं।

3. गैर निगरानीकार द्वारा दौराने बहस स्कूल प्राचार्य के कथन/पत्र को दोहराया कि स्कूल को खेल मैदान की आवश्यकता नहीं है, इससे यह पुष्टि होती है कि गैर निगरानीकार का मकान स्कूल के खेल मैदान में ही बना हुआ है। साथ ही स्कूल प्राचार्य का उक्त कथन/पत्र क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण नाकाबिले गौर है।

4. गैर निगरानीकार का यह कथन कि अतिक्रमण की रिपोर्ट में 26 व्यक्तियों का नाम है, जबकि निगरानी केवल 6 लोगों के विरूद्ध ही पेश की है, से यह पुष्ट नहीं होता कि गैर निगरानीकार का पट्टा स्कूल भूमि में नहीं होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है। साथ ही निगरानीकार ने यह भी पुष्ट नहीं किया कि शेष व्यक्तियों को पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं। जो संदेहास्पद ज्ञात होता है।

5. गैर निगरानीकार का कथन है कि उनका मकान/कब्जा बजमाने से है, सरपंच द्वारा स्कूल मैदान का नामान्तरकरण पूर्व में खारिज कर दिया गया था तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश नहीं की है, इससे यह सिद्ध/पुष्ट नहीं होता कि गैर निगरानीकार का मकान स्कूल भूमि में नहीं बना होकर आबादी भूमि में बना हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम स्वीकार की जाकर निगरानी अधीन पट्टा इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि गैर निगरानीकार 30 दिवस में पट्टा पंचायत में जमा करवावें तथा निगरानीकार शेष पट्टों को भी निरस्त करवाने की कार्यवाही कर स्कूल मैदान से अतिक्रमण हटावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर
अति. जिला कलक्टर एवं
(तृतीय) जयपुर
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।